न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–53/2026

CNR No. UPRP010035382026

पंजीयन संख्या–164/2026

शाहबुद्दीन पुत्र फैमुद्दीन, निवासी मौहल्ला कुरैशियान, कस्बा अमरोहा, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा, उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना–शाहबाद, जिला रामपुर
अ०सं० 15/2025
एस०टी०नं० 188/2025

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद में प्रार्थना पत्र 3ख डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त है और दिनांक 20–01–2025 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध है। अभियुक्त/प्रार्थी की जमानत दिनांक 11–07–2025 को रू.75,000/–के दो जमानती दाखिल करने की शर्त के साथ स्वीकार हुई थी। प्रार्थी गरीब है, पैरोकारी करने वाला कोई नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रू.75,000/–के दो जमानती दाखिल करने में विफल है, जिसके कारण अभियुक्त/प्रार्थी आज तक जेल से रिहा नहीं हो सका है। अभियुक्त/प्रार्थी अपने स्वंय के बल पर अपने जमानतियों का प्रबन्ध नहीं कर सकता है। अतः अभियुक्त को Hon'ble Supreme Court in Suo Moto Writ petition (Cri.)No–04 of 2021 titled as IN Re: POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL का लाभ देकर रिहाई के एक माह के भीतर जमानती प्रतिभू दाखिल करने की शर्त के साथ शिथिलता प्रदान करते हुए व्यक्तिगत बन्धपत्र पर सशर्त पर रिहा करने का आदेश पारित किया जाए।

अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से उपस्थित चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल का तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी गरीब व्यक्ति है, उसकी पैरोकारी करने हेतु कोई नहीं आ रहा है।उनका तर्क है कि मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी, रामपुर की आख्या भी आ चुकी है, जिसमें अभियुक्त की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सामान्य दर्शायी गयी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी अभियोग है।उनका तर्क है कि अभियुक्त पर पूर्व में चोरी आदि के भी अभियोग है। अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी है। इस मामले में अभियुक्त पर पुलिस पर फायरिंग करने का अभियोग है।

उभयपक्षों के तर्को को सुना तथा दिनांक 11–07–2024 को प्रभारी सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया।

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.06.09 15:50:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रभारी सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा अभियुक्त/प्रार्थी को मु०अ०सं० 15/2025, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना शाहबाद, जिला रामपुर में दिनांक 11–07–2025 को रू.30,000/–का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभूपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल का कथन है कि जमानत आदेश को लगभग एक वर्ष व्यतीत हो चुका है। इस अवधि में अभियुक्त को कोई भी जमानतदार जमानत देने को तैयार नहीं हुआ है। इसलिए जमानत धनराशि कम की जाए।

उभयपक्षों के उपरोक्त तर्को के आलोक में जिला प्रोबेशन अधिकारी, रामपुर की आख्या कागज संख्या–6ख एवं जिला कारागार, रामपुर की आख्या 5ख का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत आदेश दिनांकित 11–07–2025 में अधिरोपित व्यक्तिगत बन्धपत्र व निर्धारित रू.30,000/–के दो प्रतिभूओं को कम करते हुए रू.20,000/– का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू निर्धारित की जाती है।

तदनुसार उपरोक्त आदेश, जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–899/2025, CNR No.010024552025, पंजीयन संख्या–1448/2025 में पारित अभियुक्त/प्रार्थी शाहबुद्दीन के जमानत आदेश दिनांकित 11–07–2025 में जमानतियों के परिवर्तन के साथ रखा जाए।

आदेश की प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामपुर एवं चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल को जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सम्बन्धित अभियुक्त को प्राप्त कराने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाए।

तदुनसार प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्णवाद निस्तारित।

दिनांक 09–06–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545